

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक


वाद संख्या : 114 / 2020-21 2017
लेख्य प्रकार - संदेहात्मक जमादी

03/11/20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लघित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नया भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखक अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर सनाहता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निर्देशान भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं0-03-खा0म0 नोति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठिन राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुपना/मेवरा के अनुपालन में गै0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायन की गई जनाबंदीयों को जाँच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 न0 खास भूमि की जनाबंदी कायन है।


गाम	खाता	खंसेरा	रकबा	जनाबंदीदार रेंयत का नाम	पंजी-2 का पू0सं0/भाग
काम (रा) 155	01	-	0.60	सपरीर मिश्रा पि। महादीर मिश्रा	236/II

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जनाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।
अतः संबंधित को संधारित जनाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

23/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-04/सं0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जाँच की गई। जनाबंदीदार रेंयतों द्वारा संदेहात्मक जनाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1948 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदीबन्दी संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।
अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जनाबंदी सं0 236/II बनाम सपरीर मिश्रा को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने को 2020/155 की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप सनाहता, बरहौ को भेजे।


अंचल अधिकारी
बरकड़ा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संगंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - सुफीरग गिचा पिप- मरहालीर गिचा
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण - बैंक २७/२५

मौजा	थाना स।0	खाता स।0	प्लॉट स।0	रकबा
<u>कौनहरा खुर्द</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>—</u>	<u>०.६० २५०</u>

3. जमाबंदी पंजी-11 के जिल्द संख्या १ पृष्ठ स।0-२३६ पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - १९८१-८२
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतियान का नाम - बैंक २७/२५
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश दिये नहीं हैं।
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी भ्रान्तान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूखतियान) —
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच निम्न राजस्व अभिलेख से की गई (मूलभूत जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती फर्मा / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II से
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान खोद गलतियाँ एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	जाँच निर्गत तिथि	सूची का
	<u>५७१३९३१</u>	<u>१०-२-२०१२</u>	<u>१०११-१२</u>



२३/११/२०१०

अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
फॉर्म नंबर

1. जिला एवं अंचल का नाम - ह. वा. ग. - १२१६६१
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - रुही रज मिर्जा पिता महादीर मिर्जा
 ग) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

खेती	थाना नं०	खाला नं०	खजाना नं०	रकबा	खतियानों प्रविष्टि	किस्म जमीन
	2	3	4	5	6	7
<u>श्रीनहर खुई</u>	<u>११</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>०.६०</u>	<u>गैर खाली</u>	<u>गौबाकीनहर खाली के गैर खास गौबाकीनहर के खाली खास पर खाली की विवरण आपकी है।</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - पर्वत
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी ॥ में कब से संधारित है - १९८१-८२ से
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी ॥ में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - आदेश दर्ज नहीं है।
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।)
 6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामलों में मूल जमाबन्दी रैबल की विवरणों - ✗
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार ✗
 i) अनियोजित सादा हुकुमनामा ✗
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) ✗
 iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ) ✗
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रूपये कम वा इससे अधिक) ✗
 9. अवैध जमाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है -
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - ✗
 ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - ✗
 iii) दाखिल-खारिज/भू-इत्तातरण/नामान्तरण पंजी से - ✗
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? ✗
 11. क्या दिनांक दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? ✗
 12. वर्ष 1954-55 में हुए रिक्लेम पुस्तक पंजी में दखल कबजा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
 13. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित - सूची गैर खाली है (गैर खाली) के लिए
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरान्त मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - आवेदन पत्र संख्या १२१६६१/१६६६ दिनांक १२/१२/८१

W. S. J. M.
9/3/11

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल मदा० अपर समाहर्ता उपसमाहर्ता
माम का काम के अंगीकार के लिए
जी. उ. की. लेटर' के रूप में अभिलेख
में दर्ज है जमाबन्दी निरका के लिए
जा-उम-३१
१२/१२/८१